संख्या ई-8304 जी०एस०
लखनऊ-227132, दिनांक नवम्बर 15, 1994

प्रेषक:

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र संख्या रु०वि०/सम्बद्धता/94/19432-34 दिनांक जुलाई 21, 1994 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर जिला पीलीभीत को स्नातक स्तर पर हिन्दी (भाषा एवं साहित्य), अंग्रेजी (भाषा एवं साहित्य), अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं उर्दू विषयों में दिनांक 1-7-94 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि आगामी सत्र तक महाविद्यालय अपना निजी भवन बनाकर पूर्ण कर ले।

भवदीय,

ह०/-

(अ० र० के० सक्सेना)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधि

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय
बरेली।

पत्रांक: रु०वि०/सम्बद्धता/गन्ना कृ०महा०/94/ दिनांक: 16.11.94

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, प्रबन्ध समिति, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर (पीलीभीत) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डा० (के०पी० सिंह)
कुलसचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई०प० १५३७ /जी०एस०
दिनांक 13/10/2006

प्रेषक,
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्रांक सं०सी०/सम्ब०/८९१/२००६/८३६६–६४ दिनांक २८–६–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर, पीलीभीत को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, उर्दू, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१५(१२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक/प्राचार्य, गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर, पीलीभीत।

प्राचार्य
गन्ना कृषक महाविद्यालय
पूरनपुर–पीलीभीत

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

S.T.D. 0581
✆ 527263, 527268
527282, 527273

102

म.ज्यो.फु रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
M.J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली – 243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

दिनांक : 08.07.2004

पत्रांक : सा.वि./सम्ब./विविध–38/2004/

प्राचार्य
नन्हे कृषक महाविद्यालय,
पूरनपुर (पीलीभीत)

विषय : संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में सीटों का निर्धारण।

महोदय,

विगत वर्ष में संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की असीमित छात्र संख्या, वर्तमान सत्र में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रवेशार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति जी द्वारा परिनियम 11.26 की व्यवस्थानुसार एक सेक्शन अधिकतम 80 छात्रों का मानते हुए, आगामी सत्र 2004–05 से आपके महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर (प्रयोगात्मक विषयों में प्रत्येक विषय के सम्मुख अंकित संख्या के अतिरिक्त) कक्षाओं के प्रथम वर्ष में संकायवार/विषयवार निम्नवत छात्र संख्या निर्धारित की जाती है :

कक्षा	पाठ्यक्रम /विषय	स्वीकृत सेक्शन	स्वीकृत छात्र संख्या
स्नातक	बी.ए.	08	640

आपसे अनुरोध है कि आप अपने महाविद्यालय में निर्धारित छात्र संख्या के अनुरूप ही प्रवेश करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। निर्धारित छात्र संख्या से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे एवं निर्धारित छात्र संख्या के अतिरिक्त किए गए प्रवेश का पूर्ण दायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(के.एन. पाण्डेय)
कुलसचिव

0581-2527407
0581-2521467

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रु०वि०/सम्ब./2011/6482-98 दिनांक 29.09.2011

सेवा में,
प्राचार्य,
गन्ना कृषक महाविद्यालय
पूरनपुर, पीलीभीत

विषयः बी.ए. पाठ्यक्रम(प्रथम वर्ष) में अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 12.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करना है कि अतिरिक्त सेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में गठित प्रशासनिक समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 25.09.2011 को संज्ञान में लेते हुए, कुलपति महोदय ने सत्र 2011–12 से बी.ए. (प्रथम वर्ष) में अतिरिक्त दो सेक्शन (प्रति सेक्शन 80 छात्र) की वृद्धि किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है।

भवदीय

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सहायक कुलसचिव, परीक्षा एवं गोपनीय
2. अधीक्षक परीक्षा/अतिगोपनीय
3. प्रभारी कम्प्यूटर
4. प्रभारी मीटिंग

सहायक कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2018/ 5491-5500 दिनांक: 30.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर
पीलीभीत।

विषयः **संस्था गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर,पीलीभीत को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर,पीलीभीत को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों/विषयों प्रत्येक में एक सेक्शन (60 छात्र) शिक्षकों का अनुमोदन वांछित रहते** दिनांक 01.07.2018 से **अस्थाई** सम्बद्धता तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी

03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियाँ/शर्तों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।

04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयें के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।

08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

09. विधि पाठ्यक्रमों मे बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य-परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

10. सभी महाविद्यालयो में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।

12. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर-3-2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंरचनाओं का निर्माण भूकम्परोधी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. उप-कुलसचिव सम्बद्धता।
06. निजी सचिव, कुलपति ।
07. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
08. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
09. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2019 / 7058–63 दिनांक: 30.05.2019

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
गन्ना कृषक महाविद्यालय,
पूरनपुर, पीलीभीत।

विषय: संस्था गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत, को परास्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०ए० (हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थशास्त्र व राजनीतिशास्त्र) पाठ्यक्रमों / विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2019 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत, को परास्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०ए० (हिन्दी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थशास्त्र व राजनीतिशास्त्र) (प्रत्येक विषय में एक–एक सेक्शन प्रत्येक सेक्शन में 30–30 सीट प्रत्येक विषय) पाठ्यक्रमों / विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षकों का अनुमोदन वांछित रहते दिनांक 01.07.2019 से दो वर्ष हेतु नवीन सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियों / शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानो / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
03. संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख / सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नही दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नही किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
06. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332 / सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्परोधी होना चाहिए।
09. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूल भूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. निजी सचिव, कुलपति ।
02. वित्त अधिकारी, एम०जे०पी०रु०वि०, बरेली।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
04. परीक्षा नियन्त्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
05. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

Scanned with
CamScanner

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

दिनांक : 27.07.2024

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2024/ 9015-19

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य,
गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पूरनपुर पीलीभीत।

विषय– गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर पीलीभीत को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्र्तगत बी0ए0 अतिरिक्त विषय (शिक्षाशास्त्र व गृहविज्ञान), वाणिज्य संकायान्र्तगत बी0कॉम0 तथा परास्नातक स्तर पर कला संकायान्र्तगत एम0ए0 (अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व उर्दू) पाठ्यक्रम/विषयों में स्थायी सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(256)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 27.07.2024 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था – **गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर पीलीभीत को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्र्तगत बी0ए0 अतिरिक्त विषय (शिक्षाशास्त्र व गृहविज्ञान), वाणिज्य संकायान्र्तगत बी0कॉम0 तथा परास्नातक स्तर पर कला संकायान्र्तगत एम0ए0 (अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व उर्दू)** विषयों/पाठ्यक्रमों में **सत्र 2024–25 से स्थायी सम्बद्धता** की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त/निम्न कमियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र
1. प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(850)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों
2. की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियाँ प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर
3. अतिशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये, जिससे नवीन सत्र की कक्षायें अविलम्ब संचालित हो सकें। संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि वह सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।

महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित
4. अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
6. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लोप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
7. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्प रोधी होना चाहिए।
9. विधि पाठ्यक्रम में बार काउंसिल आफ इण्डिया से सीटों की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश किया जायेगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
4. समन्वयक ऑनलाइन प्रवेश/प्रभारी केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र।
5. निजी सचिव, कुलपति ।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

दिनांक : 27.07.2024

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2024 / 9020 – 24

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य,
गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पूरनपुर पीलीभीत।

विषय– गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर पीलीभीत को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 अतिरिक्त विषय (इतिहास) तथा कृषि संकायान्तर्गत बी0एस–सी0 (कृषि) पाठ्यक्रमों / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14
सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की
सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को
प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं.
सम्ब–1145 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन
पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 27.07.2024
को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था – गन्ना
कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर पीलीभीत को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत
बी0ए0 अतिरिक्त विषय (इतिहास) (60 सीट) तथा कृषि संकायान्तर्गत बी0एस–सी0 (कृषि) (60 सीट) पाठ्यक्रमों / विषयों में
सत्र 2024–25 से क्रमशः तीन वर्ष एवं चार वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की
जाती है। उक्त / निम्न कमियों / शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के
1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522 / सत्तर–2–2013–2(850) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य / प्रवक्ताओं की नियुक्ति / अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये, जिससे नवीन सत्र की कक्षायें अविलम्ब संचालित हो सके। संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि वह सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा। संबंधित अभिलेख / सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि
5. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
6. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
7. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332 / सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्प रोधी होना चाहिए।
9. विधि पाठ्यक्रम में बार काउंसिल आफ इण्डिया से सीटों की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश किया जायेगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
4. समन्वयक ऑनलाइन प्रवेश / प्रभारी केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र।
5. निजी सचिव, कुलपति ।

कुलसचिव